

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

कर अपील संख्या - 07/2020

आयुक्त सेंट्रल जी.एस.टी. & सेंट्रल एक्साइज, जमशेदपुर अपीलकर्ता

-बनाम-

मेसर्स टाटास्टील लिमिटेड, ग्रोथ शॉप, सरायकेला खरसावां प्रतिवादी

साथ

कर अपील संख्या - 09/2020

टाटा स्टील लिमिटेड (ग्रोथ शॉप), गम्हरिया सरायकेला खरसावां अपीलकर्ता

-बनाम-

आयुक्त सेंट्रल एक्साइज & सर्विस टैक्स, जमशेदपुर प्रतिवादी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रंगोन मुखोपाध्याय

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

अपीलकर्ताओं के लिए: मेसर्स अमित कुमार,

आशीष कुमार। शेखर, अधिवक्ता [T.A07/2020]

डॉ. समीर चक्रवर्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता,

अभिजीत बिस्वाश, नितिन कुमार पसारी, अधिवक्ता

[T.A09/2020]

प्रतिवादियों के लिए: मेसर्स डॉ. समीर चक्रवर्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता,

अभिजीत बिस्वाश, नितिन कुमार। पसारी, अधिवक्ता

[T.A07/2020]

मेसर्स पी.ए.एस.पति, अधिवक्ता

[T.A09/2020]

सी.ए.वी. - 05.07.2023

घोषित - 11.12.2023

निर्णय/ जजमेंट

न्यायमूर्ति दीपक रोशन द्वारा: पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. चूंकि ये दोनों अपीलें एक ही विवादित आदेश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए दोनों की एक साथ सुनवाई की जा रही है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

वर्तमान अपील राजस्व और टाटा स्टील लिमिटेड ("टीएसएल", संक्षेप में) द्वारा अपील के संबंधित ज्ञापन में बताई गई संबंधित सीमाओं तक व्यथित होकर, कस्टम्स, एक्साइज & सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण, पूर्वी क्षेत्रीय पीठ, कोलकाता (इसके बाद "सी.ई.एस.टी.ए.टी" के रूप में संदर्भित) द्वारा सेवा कर अपील संख्या 372/2011 में पारित अंतिम आदेश संख्या एफओ/76176/2019 दिनांक 29 अगस्त, 2019 के खिलाफ दायर की गई है; जिसके द्वारा विद्वान सीईएसटीएटी ने सेंट्रल एक्साइज & सर्विस टैक्स आयुक्त, जमशेदपुर (संक्षेप में, "आयुक्त") द्वारा पारित दिनांक 30 मई, 2011 के मूल आदेश संख्या 16/एसटी/आयुक्त/2011 के विरुद्ध टीएसएल की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, टाटा स्टील की गोथ शॉप इकाई (संक्षेप में, "टीजीएस") पर सामान्य सीमा अवधि के लिए सेवा कर की मांग के संबंध में उक्त आदेश की पुष्टि की है और मामले को उक्त सामान्य अवधि के लिए देयता, यदि कोई हो, का निर्धारण करने के लिए न्याय निर्णय प्राधिकारी को वापस भेज दिया है।

टीएसएल सामान्य अवधि के लिए कर मांग की पुष्टि से व्यथित है; जबकि राजस्व न्यायाधिकरण द्वारा यह मानने से व्यथित है कि इस मामले में विस्तारित सीमा अवधि लागू नहीं की जा सकती है और परिणामस्वरूप, कर की मांग सामान्य अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। सुविधा के लिए, तथ्यों का संदर्भ टीएसएल की अपील के ज्ञापन से लिया गया है; कर अपील संख्या 09/2020।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड एक कंपनी है और मुख्य रूप से लोहा और इस्पात के निर्माण में लगी हुई है। इस तरह के पंजीकरण के आधार पर, यह एक कृत्रिम न्यायिक इकाई है। इसके कई प्रभाग हैं जो विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। भारत में टीएसएल के कुछ प्रमुख प्रभाग इस प्रकार हैं:

- i. **स्टील डिवीजन:** यह फ्लैट उत्पादों और लंबे उत्पादों जैसे विभिन्न प्रकार के स्टील उत्पादों के निर्माण और बिक्री/निर्यात में

लगा हुआ है। स्टील का काम पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में स्थित है। इस डिवीजन की झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया में एक विनिर्माण इकाई भी है, जो भारी मशीनों और उपकरणों के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है और इसे टीजीएस (टाटा ग्रोथ शॉप) के नाम से जाना जाता है। कोयला और लौह अयस्क की कैप्टिव खदानें भी इसी डिवीजन के अंतर्गत आती हैं।

- ii. **फेरो मिश्र धातु और मैंगनीज प्रभाग (FAMD):** यह क्रोम अयस्क और मैंगनीज अयस्क के खनन और बिक्री के साथ-साथ फेरो मिश्र धातु और फेरो क्रोम उत्पादों की बिक्री/निर्यात में लगा हुआ है। इस प्रभाग के अंतर्गत मैंगनीज और क्रोम अयस्क खदानें उड़ीसा में स्थित हैं।
- iii. **ट्यूब्स डिवीजन:** यह जमशेदपुर में पाइप और ट्यूब के निर्माण में लगा हुआ है।
- iv. **बियरिंग डिवीजन:** यह पश्चिम बंगाल राज्य के खड़गपुर में बियरिंग उत्पादों के निर्माण में लगा हुआ है।
- v. **वायर डिवीजन, मुंबई।**

4. टीजीएस, टीएसएल के स्टील डिवीजन का एक लाभ केंद्र है और भारी मशीनरी और उपकरणों के निर्माण में लगा हुआ है। यह उक्त उद्देश्य के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत पंजीकृत है। माल का निर्माण न केवल टीएसएल की आंतरिक आवश्यकताओं (इसके विभिन्न विस्तार और विकास परियोजनाओं से उत्पन्न) को पूरा करने के लिए किया जाता है, बल्कि बाहरी पक्षों को बिक्री के उद्देश्य से भी किया जाता है। टीजीएस सेवा कर के उद्देश्य से सेवा प्रदाता के रूप में भी पंजीकृत है क्योंकि यह बाहरी ग्राहकों को मशीनरी और उपकरण बेचने के लिए निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग सेवा और मरम्मत और रखरखाव सेवा जैसी कर योग्य सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है। टीएसएल का स्टीलवर्क्स भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के उद्देश्य से अलग-अलग पंजीकृत है, जो क्रमशः केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 और सेवा कर नियम, 1994 के नियम 4(3ए) में निर्दिष्ट वैधानिक आवश्यकता के अनुसार है।

टीजीएस का टर्नओवर, आय, परिसंपत्तियां, देनदारियां आदि एक अलग लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट में परिलक्षित नहीं होती हैं, बल्कि टीएसएल के वार्षिक खातों के समेकित आंकड़े का हिस्सा हैं। टीजीएस

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई अलग रिटर्न भी दाखिल नहीं करता है। टीएसएल एक सीमित कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अनुसार अपने वार्षिक खातों को सख्ती से तैयार करने की आवश्यकता है। उक्त वार्षिक लेखा परीक्षित खाते, जो शेयरधारकों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों को भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आयकर, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क अधिकारी शामिल हैं, कंपनी के लाभ और हानि खाते सहित टीजीएस सहित इसके सभी डिवीजनों के संबंध में कंपनी के मामलों के समेकित आंकड़े दर्शाते हैं। टीजीएस अपने कारखाने से सीकेडी/एसकेडी फॉर्म में माल की निकासी करता है और तदनुसार उत्पाद शुल्क का भुगतान करता है।

टीजीएस अपने ग्राहकों और स्टीलवर्क्स को आपूर्ति की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों के निर्माण और स्थापना के कार्य को निष्पादित करने के लिए उप-ठेकेदारों को नियुक्त करता है। ऐसे उप-ठेकेदार ग्राहकों और स्टीलवर्क्स के परिसर में काम करते हैं। उप-ठेकेदार शुल्क लेते हैं और टीजीएस उन्हें ऐसी सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर की प्रतिपूर्ति करता है।

5. भौतिक अवधि के दौरान टीजीएस ने दी गई सेवाओं के लिए अलग-अलग चालान जारी किए और ग्राहक के परिसर में उप-ठेकेदारों द्वारा दी गई सेवाओं के संदर्भ में सेवा कर लगाया। हालांकि, इसने टीएसएल के स्टीलवर्क्स के परिसर में दी गई सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर नहीं लगाया।

याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला यह है कि टीजीएस और स्टीलवर्क्स एक ही कंपनी यानी टीएसएल का हिस्सा हैं। भौतिक अवधि के दौरान टीजीएस ने एक निर्माता के रूप में टीएसएल के स्टीलवर्क्स और बाहरी पक्षों दोनों को माल की निकासी पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। हालांकि, एक सेवा प्रदाता के रूप में इसने बाहरी पक्षों को दी गई सेवाओं के संबंध में सेवा कर का भुगतान किया। टीजीएस ने अपने सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क देयता के निर्वहन के उद्देश्य से ठेकेदारों को प्रतिपूर्ति किए गए सेवा कर का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया। टीजीएस (जो टीएसएल के स्टील डिवीजन का लाभ केंद्र है) की अन्य विक्रेताओं के साथ तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए, जिनके साथ टीएसएल अपनी विभिन्न विकास

परियोजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेन-देन कर रहा था, टीएसएल ने किसी अन्य विक्रेता की तरह टीजीएस को निविदा की बोली में भाग लेने का फैसला किया। यदि टीजीएस बोली में योग्य हो जाता है, तो उसे टीएसएल से माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए खरीद आदेश प्राप्त होता है। इसके अलावा, TGS के पास एक अलग बैंक खाता है जिसमें उसे TSL से हर दिन पैसे मिलते हैं। यह व्यवस्था TSL और TGS के बीच किसी खास लेन-देन के बदले में मिलने वाली राशि के बजाय ब्याज लागत में कमी लाने के लिए है। पैसे के इस हस्तांतरण को बाद में TGS द्वारा TSL को माल और सेवाओं की आपूर्ति के लेन-देन की उचित लागत को दर्ज करने के लिए अपने खातों में समायोजित किया जाता है।

6. 8 अक्टूबर, 2010 को कारण बताओ नोटिस द्वारा, आयुक्त ने टीएसएल को कारण बताने के लिए कहा कि क्यों सेवा कर (शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के साथ) रु। अधिनियम की धारा 73(1) के प्रावधान के तहत 1,74,65,320/- की राशि उससे वसूल नहीं की जानी चाहिए, साथ ही अधिनियम की धारा 75 के तहत उस पर ब्याज भी वसूला जाना चाहिए और इस बात पर कि अधिनियम की धारा 77 और 78 के प्रावधानों के तहत टीजीएस पर अलग-अलग दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, इस आरोप पर कि टीजीएस ने 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2010 की अवधि के दौरान टीएसएल को “कमीशनिंग और स्थापना” और “रखरखाव या मरम्मत” की कर योग्य सेवाएं प्रदान की थीं, लेकिन वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार कथित रूप से देय सेवा कर का भुगतान नहीं किया था, जैसा कि संशोधित किया गया था (जिसे आगे “अधिनियम” के रूप में संदर्भित किया गया है), और इस प्रकार सेवा कर की चोरी की थी, जो सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करके उससे वसूली योग्य थी और अधिनियम और सेवा कर नियमों के नामित प्रावधानों का उल्लंघन किया था, 1994 (जिसे आगे “उक्त नियम” कहा जाएगा)।

टीएसएल ने कारण बताओ नोटिस पर 30 मार्च, 2011 को अपना जवाब प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, आयुक्त द्वारा 30 मई, 2011 को एक मूल आदेश (ओआईओ) पारित किया गया; जिसके तहत उन्होंने टीएसएल के खिलाफ 1,74,65,320/- रुपये की सेवा कर मांग की पुष्टि

की, साथ ही उस पर ब्याज भी लगाया। आयुक्त ने टीएसएल पर अधिनियम की धारा 78 और धारा 77(2) के तहत क्रमशः 2,00,00,000/- रुपये और 5,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया।

7. व्यथित होकर, करदाता ने उक्त OIO के खिलाफ विद्वान CESTAT के समक्ष अपील की, जो सेवा कर अपील संख्या 372/2011 है। हालांकि, TSL द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई, क्योंकि, टाटा स्टील की ग्रोथ शॉप यूनिट पर सामान्य सीमा अवधि के लिए सेवा कर की मांग की पुष्टि की गई है और मामले को उक्त सामान्य अवधि के लिए देयता, यदि कोई हो, का निर्धारण करने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया गया है। इस प्रकार, TSL सामान्य अवधि के लिए कर मांग की पुष्टि से व्यथित है; जबकि राजस्व न्यायाधिकरण द्वारा यह मानने से व्यथित है कि तत्काल मामले में विस्तारित सीमा अवधि को लागू नहीं किया जा सकता है।
8. दिनांक 07.07.2022 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने इन दोनों अपीलों को स्वीकार कर लिया है और निम्नलिखित विधिक प्रश्न तैयार किए गए हैं: -

कर अपील संख्या 07/2020

क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान CESTAT, कोलकाता ने मामले को केवल सामान्य अवधि के लिए देयता, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को वापस भेजकर और विस्तारित सीमा अवधि से संबंधित मांग को वापस लेने में गलती की है, इस तथ्य के बावजूद कि मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड (ग्रोथ शॉप) ने जानबूझकर सेवा कर के भुगतान से बचने के इरादे से विभाग से तथ्यों को छुपाया है?

कर अपील संख्या 09/2020

- i. क्या किसी कंपनी की एक इकाई/डिवीजन द्वारा उसी कंपनी की दूसरी इकाई/डिवीजन को दी गई सेवाएँ वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत "सेवा" हैं और उसके अंतर्गत सेवा कर के लिए पात्र हैं?
- ii. क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर और वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के आधार पर, टाटा स्टील लिमिटेड की इकाई टाटा ग्रोथ शॉप द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड को दी गई सेवाएं, स्वयं को दी गई सेवा के बराबर हैं और इसलिए उक्त अधिनियम के तहत सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं?

- iii. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर और वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के आधार पर न्यायाधिकरण का यह मानना सही था कि टाटा ग्रोथ शॉप टाटा स्टील लिमिटेड को दी गई सेवाओं पर अधिनियम के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी या न्यायाधिकरण का उक्त निष्कर्ष अधिनियम के विरुद्ध, मनमाना और विकृत है?
- iv. क्या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता का विवादित आदेश एक गैर-भाषणात्मक और गैर-तर्कसंगत आदेश है, जिसमें उसके समक्ष उठाए गए विशिष्ट विवादों पर विचार नहीं किया गया है और इस प्रकार यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला, मनमाना, अनुचित और विकृत है?

9. राजस्व विभाग के विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता श्री अमित कुमार ने तर्क दिया कि विवादित आदेश का एक हिस्सा अवैधानिक और दोषपूर्ण है, क्योंकि विद्वान सीईएसटीएटी ने मामले को सामान्य अवधि के लिए देयता, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए निर्णायक प्राधिकारी को वापस भेजने और विस्तारित सीमा अवधि से संबंधित मांग को छोड़ने में गलती की है, इस तथ्य के बावजूद कि मेसर्स टाटा स्टील्स लिमिटेड (ग्रोथ शॉप) ने सेवा कर के भुगतान से बचने के इरादे से जानबूझकर विभाग से इस तथ्य को छुपाया है।

उन्होंने आगे कहा कि विद्वान न्यायाधिकरण ने यह अवलोकन करने में गलती की है कि इसमें छिपाने, धोखाधड़ी आदि का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, जबकि कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि करदाता जानते थे कि उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं सेवा कर के लिए उत्तरदायी हैं और विभाग को इस तथ्य की घोषणा न करके उन्होंने निश्चित रूप से सेवा कर के भुगतान से बचने के इरादे से तथ्यों को छिपाया है और इस तरह के छिपाने का पता विभाग द्वारा इस मामले में जांच के बाद ही चला।

उन्होंने तर्क दिया कि विद्वान न्यायाधिकरण को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि मेसर्स टाटा स्टील्स लिमिटेड सेवा कर का भुगतान नहीं कर रहा था, हालांकि इनपुट सेवा पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया जा रहा था और ऐसा लाभ उठाना कंपनी का जानबूझकर लिया गया

प्रशासनिक निर्णय था, लेकिन कर के भुगतान से बचने के इरादे से उन्होंने विभाग से उन तथ्यों को छिपाया है, तदनुसार विद्वान सीईएसटीएटी को जुर्माना नहीं हटाना चाहिए था।

10. करदाता के विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. समीर चक्रवर्ती ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

- I. कारण बताओ नोटिस और आयुक्त द्वारा पारित ओआईओ दोनों में, टीजीएस को टीएसएल की एक इकाई के रूप में संदर्भित किया गया है। कारण बताओ नोटिस ("एससीएन") दोनों में, नोटिस प्राप्तकर्ता और आदेश में वह प्राप्तकर्ता जिसे एससीएन और कथित आदेश भेजा गया था, वह "मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड (ग्रोथ शॉप)" है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि टीजीएस टीएसएल की एक इकाई है और इसलिए, चूंकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वयं को कोई सेवा प्रदान नहीं की जा सकती है, इसलिए टीजीएस, टीएसएल का एक प्रभाग/इकाई, एक कंपनी, निगमित या कंपनी अधिनियम के अर्थ के भीतर, द्वारा प्रदान की गई सेवा, अधिनियम की धारा 65(105) के अर्थ के भीतर, धारा 66 के साथ पठित, किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है और न ही कही जा सकती है।
- II. सेवा कर के प्रावधान के लिए यह भेद करना कि टीएसएल की स्टीलवर्क्स और टीजीएस दो अलग-अलग करदाता हैं, गलत है; क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत सेवा कर लगाया जाता हो, जिसमें यह प्रावधान हो कि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की दो इकाइयां, सेवा कर नियम, 1994 के तहत अलग-अलग पंजीकृत होने के कारण, दो अलग-अलग व्यक्ति मानी जा सकती हैं और एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई को प्रदान की गई सेवाओं को कर योग्य आपूर्ति माना जाएगा।
- III. वास्तव में, टीएसएल के मामले में, उन्हीं इकाइयों के संबंध में, न्यायाधिकरण की उसी पीठ ने पहले माना था कि चूंकि कंपनी की एक इकाई उसी कंपनी की दूसरी इकाई को सेवा नहीं देती है और न ही दे सकती है, चूंकि वह स्वयं को दी गई सेवा के बराबर होगी, इसलिए यह अधिनियम के तहत कर योग्य सेवा नहीं है (**टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ सी.एक्स., 2008 (228) ईएलटी 124 (टी-कोल)**)। राजस्व द्वारा उपरोक्त किसी भी

निर्णय को उच्च अपीलीय मंचों यानी माननीय उच्च न्यायालयों या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार, इन सभी निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत, जिन्हें राजस्व द्वारा स्वीकार किया गया है, अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं।

IV. टीएसएल को पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में "टिस्को") के नाम से जाना जाता था और इस नाम के परिवर्तन के बाद आयकर विभाग द्वारा टीएसएल को एक नया पैन प्रदान किया गया था, जो निर्धारित कानून के अनुसार, टीएसएल के सेवा कर पंजीकरण संख्या का एक हिस्सा बन गया, जिसने टिस्को के पहले के सेवा कर पंजीकरण संख्या को बदल दिया। हालांकि, टीजीएस, जिसका सेवा कर पंजीकरण भी टिस्को पैन के आधार पर था; ने चूक और गलती के कारण, उक्त पंजीकरण संख्या को नहीं बदला और तदनुसार टीजीएस का सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र (एसटी-2) टिस्को के पैन वाले पुराने नंबर के साथ जारी रहा। इसके परिणामस्वरूप, टीएसएल और टीजीएस की सेवा कर पंजीकरण संख्या स्पष्ट रूप से भिन्न थी। इस प्रक्रियात्मक त्रुटि को न्यायाधिकरण द्वारा तर्कहीन और गलत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक प्रासंगिक बिंदु बनाया गया है कि टीजीएस ने टीएसएल को एक ऐसे विचार के लिए सेवाएं प्रदान की थीं जो अधिनियम के तहत उचित थीं।

- V. यह तथ्य कि टीजीएस और टीएसएल एक ही इकाई हैं, इससे और स्पष्ट होगा:
- i. तथ्य यह है कि टीजीएस द्वारा जारी किए गए सेवा कर चालान में टीजीएस और टीएसएल दोनों का एक ही पैन था, अर्थात् AAAC2803M।
 - ii. टीजीएस द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बाहरी पक्षों द्वारा किए गए भुगतान टीएसएल को संबोधित अकाउंट पेयी चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से किए गए थे, न कि टीजीएस को, जबकि टीजीएस का एक अलग बैंक खाता था। वास्तव में, ट्रिब्यूनल ने अलग-अलग उत्पाद शुल्क और सेवा कर पंजीकरण के आधार पर टीजीएस और टीएसएल को अलग-अलग कानूनी संस्थाएं मानने में गलती की है।
 - iii. विवादित आदेश तर्कहीन और अस्पष्ट है, इसलिए यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और विकृत है। विवादित आदेश पारित करते समय, रिकॉर्ड पर

मौजूद सामग्रियों और दस्तावेजों तथा निर्णयों के आधार पर टीएसएल की विशिष्ट दलीलों का या तो उल्लेख नहीं किया गया या उन्हें औपचारिक रूप से निपटाया गया। इस बात का कोई कारण या आधार नहीं बताया गया है कि सीईएसटीएटी इस निष्कर्ष पर कैसे और क्यों पहुंचा कि टीएसएल की ये विशिष्ट दलीलें निर्णायक रूप से प्रमाणित करती हैं कि टीजीएस हर समय टीएसएल की एक इकाई थी और अभी भी टीएसएल के बाहर उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था और न ही इस बात का कि कैसे और किस आधार पर, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की सराहना करते हुए, यह माना जा सकता है कि कंपनी के एक डिवीजन/इकाई द्वारा कंपनी को सेवा कर के योग्य सेवा प्रदान की गई थी।

अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने विभिन्न न्यायाधिकरणों के कई निर्णयों पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि सभी ने सर्वसम्मति से माना कि चूंकि कंपनी की एक इकाई उसी कंपनी की दूसरी इकाई को सेवा प्रदान नहीं करती है और न ही कर सकती है, क्योंकि यह स्वयं को दी गई सेवा के बराबर होगी, इसलिए यह अधिनियम के तहत कर योग्य सेवा नहीं है। नीचे कुछ निर्णयों का हवाला दिया गया है:

- i. **महाप्रबंधक, बीएसएनएल सेलुलर मोबाइल सर्विसेज बनाम जीएसटी एवं सी.एक्स. आयुक्त, 2019 (25) जीएसटीएल 238 (टी)**
- ii. **सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन बनाम कमिश्नर ऑफ सी.एक्स., 2019 (21) जीएसटीएल170**
- iii. **सी.सी., सी.एक्स. & एस.टी. बनाम पार्कर मार्कवेल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 2019 (24) जीएसटीएल 42**
- iv. **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बनाम सी.एक्स. कमिश्नर, पटना 2007 (8) एसटीआर 527**

11. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई करने तथा मामले के अभिलेखों और राजस्व प्राधिकारियों एवं न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन करने के पश्चात्, इन दोनों अपीलों में शामिल मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए, विवादित आदेश का प्रभावी भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है।

“5. हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है, अभिलेखों में रखे गए

दस्तावेजों को देखा है और एल.डी. वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए विभिन्न निर्णयों को भी देखा है। दस्तावेजों और अपीलकर्ता द्वारा दायर स्पष्टीकरणों के अवलोकन से, हम देखते हैं कि यह दलील देने के अलावा कि कोई सेवा प्राप्तकर्ता नहीं था बल्कि सेवा स्वयं के लिए थी, एल.डी. आयुक्त/न्यायिक प्राधिकरण या हमारे समक्ष संतुष्टि के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। हम यह भी पाते हैं कि न्यायिक प्राधिकरण ने अपीलकर्ता के तर्कों पर एक निष्कर्ष दिया है; कि अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं विचार के लिए थीं और सेवा निष्पादित करने के आदेशों के मामले में, अपीलकर्ता ने भुगतान करने के बाद उप-अनुबंध किया था, जिसके लिए अपीलकर्ता ने चार्ज की गई सेवा कर राशि का क्रेडिट भी लिया था। एल.डी. द्वारा एक निष्कर्ष भी है। आयुक्त ने कहा कि अपीलकर्ता ने वास्तव में टाटा स्टील लिमिटेड को विक्रेता कोड और खाता बही आवंटित की थी, जबकि दूसरे पक्ष को उसने अपना ग्राहक माना था, जिस पर अपीलकर्ता द्वारा कोई खंडन/खंडन नहीं किया गया है और यह भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि प्रदान की गई सेवाएँ खुली बोली/निविदा के परिणाम थे, जिसमें अन्य लोगों के साथ अपीलकर्ता ने भी भाग लिया था। सफल होने पर, खरीद आदेश दिया गया और अनुबंध निष्पादित हुआ।

6. एल.डी. न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त चर्चा पर विचार करने पर, यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि यह 'स्वयं सेवा' का मामला है, लेकिन राजस्व ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि सेवा मौजूद है, एक सेवा प्रदाता है, एक सेवा प्राप्तकर्ता भी है; और जिसके लिए भुगतान किया गया है। इसलिए, उपरोक्त की पृष्ठभूमि में, हम विनम्र राय के हैं कि एल.डी. वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णय अलग-अलग हैं। लेकिन फिर भी, यह रिकॉर्ड का मामला है कि राजस्व को उपरोक्त तथ्यों के बारे में केवल रिकॉर्ड की जाँच के दौरान पता चला है, न कि किसी स्वतंत्र स्रोत से और इसलिए, इसे कर चोरी के इरादे से दबाया नहीं जा सकता है और परिणामस्वरूप, मांग सामान्य अवधि से परे नहीं उठाई जा सकती है। हम यह भी पाते हैं कि अधिक समय सीमा का आह्वान करने का औचित्य साबित करने के लिए दमन, धोखाधड़ी आदि का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उपर्युक्त के आलोक में, अतः, मांग को केवल सामान्य सीमा अवधि तक ही कायम रखा जा सकता है, जिसे हम एतद्वारा पूरा करते हैं।

7. परिणामस्वरूप, मामले को सामान्य अवधि के लिए देयता, यदि कोई हो, का निर्धारण करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण की फाइल में

वापस भेजा जाता है। मामले को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और आंशिक रूप से उपरोक्त शर्तों पर वापस भेजा जाता है।”

12. अभिलेखों के अवलोकन से यह पता चलता है कि टीजीएस टीएसएल की एक इकाई है और इसलिए, अधिनियम के तहत सेवा कर लगाने की प्राथमिक शर्त पूरी नहीं होती है क्योंकि स्वयं को 'सेवा' प्रदान नहीं की जा सकती है। कारण बताओ नोटिस और ओआईओ दोनों में, टीजीएस को टीएसएल की एक इकाई के रूप में संदर्भित किया गया है। कारण बताओ नोटिस ("एससीएन") दोनों में नोटिस प्राप्तकर्ता और ओआईओ में जिस पते पर इसे भेजा गया था, वह "मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड (ग्रोथ शॉप)" था। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि टीजीएस टीएसएल की एक इकाई है और इसलिए, चूंकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वयं को कोई सेवा प्रदान नहीं की जा सकती है, टीजीएस, टीएसएल का एक प्रभाग/इकाई, एक कंपनी, निगमित या कंपनी अधिनियम के अर्थ के भीतर प्रदान की गई सेवा, अधिनियम की धारा 65(105) के अर्थ के भीतर, धारा 66 के साथ पढ़ी गई, किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है और न ही ऐसा कहा जा सकता है।

विद्वान न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिससे यह संकेत मिलता हो कि टीजीएस द्वारा टीएसएल को दी गई सेवा स्वयं के लिए सेवा थी, स्पष्ट रूप से गलत और विकृत है। सीईएसटीएटी के समक्ष कार्यवाही के अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज और सामग्री स्पष्ट रूप से न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को ध्वस्त करती है। सेवा कर के प्रावधान के उद्देश्य से न्यायाधिकरण द्वारा किया गया भेद, कि टीएसएल की स्टीलवर्क्स और टीजीएस दो अलग-अलग करदाता हैं, गलत है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत सेवा कर लगाया जाता है, बशर्ते कि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की दो इकाइयां, सेवा कर नियम, 1994 के तहत अलग-अलग पंजीकृत होने के कारण, दो अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में मानी जा सकती हैं और मानी जानी चाहिए और एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई को प्रदान की गई सेवाओं को कर योग्य आपूर्ति माना जाएगा। ऐसे विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, एक ही कंपनी की दो इकाइयों के बीच लेनदेन

को अधिनियम के अर्थ में एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई को दी गई 'सेवा' नहीं माना जा सकता।

इस संबंध में दो इकाइयों का दो अलग-अलग सेवा कर पंजीकरण पूरी तरह अप्रासंगिक है। यह स्थापित कानून है कि कंपनी की एक इकाई उसी कंपनी की दूसरी इकाई को सेवा प्रदान नहीं करती है और न ही कर सकती है, क्योंकि यह स्वयं को दी गई सेवा के बराबर होगी, जो अधिनियम के तहत कर योग्य सेवा नहीं है: श्री चक्रवर्ती द्वारा पूर्वोक्त मुद्दे पर संदर्भित निर्णय इस मामले पर पूरी तरह लागू होते हैं, जहां तक यह मुद्दा है कि कंपनी की एक इकाई उसी कंपनी की दूसरी इकाई को सेवा प्रदान नहीं करती है और न ही कर सकती है, क्योंकि यह स्वयं को दी गई सेवा के बराबर होगी; इस प्रकार यह अधिनियम के तहत कर योग्य सेवा नहीं है।

13. इस स्तर पर, यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि टीएसएल के मामले में, उन्हीं इकाइयों के संबंध में, न्यायाधिकरण की उसी पीठ ने पहले माना था कि चूंकि कंपनी की एक इकाई उसी कंपनी की दूसरी इकाई को सेवा नहीं देती है और न ही दे सकती है, क्योंकि वह स्वयं को दी गई सेवा के बराबर होगी, इसलिए यह अधिनियम के तहत कर योग्य सेवा नहीं है **(टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ सी.एक्स., जमशेदपुर 2008 (228) ईएलटी 124 (टी-कोल))**। राजस्व द्वारा उच्च अपीलिय मंचों (माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय) के समक्ष उपर्युक्त निर्णयों में से किसी को भी चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार, निर्णय में निर्धारित सिद्धांत, जिसे राजस्व द्वारा स्वीकार किया गया है, अंतिमता प्राप्त कर चुका है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित यह सिद्धांत है कि न्यायिक मिसाल का पालन किया जाना आवश्यक है और यदि न्यायाधिकरण की समान शक्ति वाली पीठ किसी अन्य पीठ के निर्णय से असहमत होना चाहती है, तो मामले को न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को संदर्भित किया जाना चाहिए ताकि मामले का निर्णय करने के लिए उसे एक बड़ी पीठ को भेजा जा सके। बिना कोई कारण या आधार बताए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित इस न्यायिक सिद्धांत का भी

न्यायाधिकरण द्वारा विवादित आदेश पारित करके उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में सीसीई, नवी मुंबई बनाम अमर बिटुमेन एंड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 2006 (202) ईएलटी 213 (एससी) के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें पैरा 4, 5 और 6 में निम्नलिखित माना गया है:-

"4. न्यायाधिकरण ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता-1 बनाम बिटुमेन उत्पाद (भारत) [1999 (107) ई.एल.टी. 58 (टी)] में न्यायाधिकरण की एक अन्य पीठ के पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए माना कि 'बिटुमिनाइज्ड हेसियन आधारित फेल्ट' अध्याय शीर्षक 59.09 के अंतर्गत आता है जैसा कि करदाता द्वारा तर्क दिया गया है और 68.07 के अंतर्गत नहीं जैसा कि राजस्व द्वारा तर्क दिया गया है।

5. बेशक, बिटुमेन प्रोडक्ट्स (इंडिया)(सुप्रा) में ट्रिब्यूनल के पहले के फैसले के खिलाफ राजस्व द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी और यह अंतिम हो गया है।

6. इस न्यायालय ने अनेक मामलों में लगातार यह विचार व्यक्त किया है कि यदि राजस्व द्वारा किसी पूर्व आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जाती है और वह अंतिम हो चुका है, तो राजस्व के लिए एक करदाता के मामले में उसी प्रश्न पर निर्णय/आदेश को स्वीकार करना तथा कुछ अन्य करदाताओं के मामले में उसकी सत्यता पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। राजस्व विभाग चयन नहीं कर सकता। [देखें : यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम कौमुदिनी नारायण दलाल एवं अन्य [2001 (10) एस.सी.सी. 231]; कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज पुणे बनाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी लिमिटेड [2003 (158) ई.एल.टी. 130 (एस.सी.)]; बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज [2005 (186) ई.एल.टी. 266 (एस.सी.)]; जयसवालस नेको लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नागपुर [2006 (195) ई.एल.टी. 142 (एस.सी.)], आदि] "

14. कानून अब इस बात पर अडिग है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी कानून की नज़र में एक एकल व्यक्ति/इकाई है और वह खुद को कई कानूनी संस्थाओं में पुनर्गठित नहीं कर सकती। इसके प्रभाग/शाखाएँ कंपनी से अलग और अलग पहचान नहीं रख सकतीं। इस संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3(42) का संदर्भ लिया जा सकता है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 65(7) में संशोधन के अनुसार, "करदाता" का अर्थ है "सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और उसके एजेंट भी इसमें शामिल हैं"। अधिनियम की धारा 68(1) के

अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने वाले प्रत्येक "व्यक्ति" को धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर निर्धारित तरीके से और निर्धारित अवधि के भीतर सेवा कर का भुगतान करना होगा। ये प्रावधान यह बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि करदाता, किसी व्यक्ति को छोड़कर, एक कानूनी व्यक्ति होना चाहिए, जैसे कि कोई कंपनी या फर्म, जो सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है या जो कर योग्य सेवा प्रदान करेगा। अधिनियम की धारा 69(1) के अनुसार, सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक "व्यक्ति" को निर्धारित तरीके से खुद को पंजीकृत कराना होगा। इसलिए, यहाँ "व्यक्ति" भी एक कानूनी इकाई है, जो इस मामले में टीएसएल है। इसका कोई प्रभाग या शाखा इस प्रावधान के तहत "व्यक्ति" नहीं हो सकती। इसलिए टीजीएस का कोई स्वतंत्र और अलग अस्तित्व या पहचान नहीं है, भले ही उसे अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के तहत खुद को अलग से पंजीकृत कराना पड़े। उक्त नियमों के नियम 4(3ए) में प्रावधान है कि एक से अधिक परिसरों या कार्यालयों से कर योग्य सेवा प्रदान करने वाले "करदाता" को प्रत्येक परिसर/कार्यालय का अलग से पंजीकरण कराना होगा। "करदाता" की अलग से परिभाषा न होने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 65(7) में निहित "करदाता" की परिभाषा लागू होगी। इस प्रकार लागू होने पर, यह भी स्थापित होता है कि उक्त नियमों के नियम 4(3ए) के तहत "करदाता" भी एक व्यक्ति या कानूनी इकाई होना चाहिए, जो कि इस मामले में टीएसएल है, न कि टीजीएस सहित इसके कोई भी प्रभाग या कारखाना अलग से।

यह तथ्य कि टीजीएस और टीएसएल एक ही इकाई हैं, इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाता है कि टीजीएस द्वारा जारी किए गए सेवा कर चालान में टीजीएस और टीएसएल दोनों का एक ही पैन था, यानी AACT2803M। इसके अलावा, टीजीएस द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बाहरी पक्षों द्वारा किए गए भुगतान टीएसएल को संबोधित अकाउंट पेयी चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से किए गए थे, न कि टीजीएस को, इस तथ्य के बावजूद कि टीजीएस का एक अलग बैंक खाता था।

15. विद्वान न्यायाधिकरण ने अलग-अलग उत्पाद शुल्क और सेवा कर पंजीकरण के आधार पर टीजीएस और टीएसएल को अलग-अलग कानूनी संस्थाएं मानने

में गलती की है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अनुसार, एक निर्माता (तत्काल मामले में टीएसएल) के पास अलग-अलग स्थानों पर स्थित कई कारखाने हैं, जिसके लिए प्रत्येक कारखाने के लिए पंजीकरण होना आवश्यक है। जमशेदपुर में, टीएसएल के पास कई कारखाने हैं और टीजीएस और स्टीलवर्क्स उनमें से हैं। इसलिए, टीएसएल के टीजीएस और स्टीलवर्क्स को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के तहत अलग-अलग पंजीकृत किया गया था। इसी तरह, अधिनियम और उक्त नियमों के तहत एक से अधिक परिसरों से कर योग्य सेवाएं प्रदान करने वाले करदाता को प्रत्येक ऐसे स्थान के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराना आवश्यक है, बशर्ते कि ऐसे विभिन्न परिसरों से प्रदान की गई सेवाओं के लिए केंद्रीकृत बिलिंग और लेखा का कोई प्रावधान न हो। चूंकि टीजीएस टीएसएल के स्टील डिवीजन का एक अलग लाभ केंद्र है, और अपने परिसर से सेवाएं प्रदान कर रहा है, इसलिए टीएसएल ने सेवा कर के उद्देश्य से टीजीएस के लिए एक अलग पंजीकरण प्राप्त किया था।

तदनुसार, हम मानते हैं कि निर्माता/सेवा प्रदाता के प्रत्येक कारखाने/परिसर का अलग-अलग पंजीकरण निर्माता/सेवा प्रदाता के ऐसे प्रत्येक कारखाने/परिसर को एक अलग कानूनी इकाई नहीं बनाता है और न ही बना सकता है। वास्तव में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या अधिनियम या देश के किसी अन्य कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

16. ओआईओ में ऐसा प्रतीत होता है कि टीजीएस और टीएसएल दोनों ने उनके समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आयुक्त से सहमति व्यक्त की कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कानूनों की दृष्टि में टीजीएस और टीएसएल अलग-अलग संस्थाएं हैं, जिनके पास अलग-अलग सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण है और यदि कोई सेवा कर प्रदाता इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करता है, तो उस पर प्रदान की गई आउटपुट सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान करने का दायित्व होगा, जो पूरी तरह से गलत है।

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इनपुट सेवा के क्रेडिट का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ आउटपुट सेवा के लिए सेवा कर के भुगतान के लिए किया जाना है। इस कानूनी स्थिति के साथ कोई विवाद नहीं है, या हो भी नहीं सकता है और यह वही है जिस पर टीजीएस और

टीएसएल के प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान "सहमति" जताई। इसके अलावा, यह भी स्थापित कानूनी स्थिति है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून के तहत इनपुट और इनपुट सेवा के संबंध में प्राप्त क्रेडिट और निर्मित और निकासी योग्य वस्तुओं और/या प्रदान की गई आउटपुट सेवा के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर के भुगतान में इसके उपयोग के बीच एक-से-एक सहसंबंध की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, टीजीएस ने भुगतान किए गए सेवा कर के विषय सेनवैट क्रेडिट का सही ढंग से लाभ उठाया था, बिना टीएसएल की किसी अन्य इकाई को प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए किसी भी सहवर्ती दायित्व के। न्यायाधिकरण का विपरीत निष्कर्ष भी गलत और अस्थिर है।

17. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम एक बार फिर दोहराते हैं कि निर्माता/सेवा प्रदाता के प्रत्येक कारखाने/परिसर का अलग पंजीकरण निर्माता/सेवा प्रदाता के ऐसे प्रत्येक कारखाने/परिसर को एक अलग कानूनी इकाई नहीं बनाता है और न ही बना सकता है।
18. उपर्युक्त चर्चाओं और करदाता द्वारा उठाए गए कानूनी प्रश्नों के मददेनजर उनके पक्ष में निर्णय लिया जाता है। परिणामस्वरूप, विभाग की अपील अस्थिर है और उसे अस्वीकार किया जाता है। सीईएसटीएटी का विवादित आदेश कानून के विपरीत है और पूरी तरह से अस्थिर है; इस मामले में सामान्य अवधि या विस्तारित सीमा अवधि स्थिर है या नहीं, यह मुद्दा अप्रासंगिक है।

हालांकि, किसी भी स्थिति में, टीएसएल की अपील याचिका में दर्ज और निहित रिकॉर्ड पर निर्विवाद तथ्य निर्णायक रूप से यह साबित करते हैं कि इस मामले में टीएसएल द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं छिपाया गया है और विभाग की अपील में निहित गलत आधार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों को संतुष्ट नहीं करते हैं, जिन्हें विस्तारित सीमा अवधि के आह्वान के लिए संतुष्ट किया जाना चाहिए। इस संबंध में यूनीवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम सीसीई, रायपुर {2013 (288) ईएलटी 161 (एससी), पैरा 12-26} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

19. परिणामस्वरूप, करदाता की अपील स्वीकार कर ली जाती है और राजस्व की अपील खारिज कर दी जाती है।

(न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय)

(न्यायमूर्ति दीपक रोशन)

झारखंड उच्च न्यायालय
दिनांक/ 11/12/2023
अमरदीप/एएफआर

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।